बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025

चर्चा में क्यों?

बिहार [मंत्रिमंडल](#) ने **26 अगस्त, 2025 को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को** स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य राज्य में [औद्योगिक विकास को बढ़ावा](#) देना और बड़े स्तर पर निजी [निवेश को आकर्षित](#) करना है।

- यह पहल, **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का एक विस्तार है, जो 31 मार्च, 2026** तक प्रभावी रहेगी और **अगले पाँच वर्षों** में **1 करोड़ रोज़गार के अवसर सृजित करने के** बिहार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे राज्य एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

मुख्य बिंदु

निवेश प्रोत्साहन पैकेज के बारे में:

- **निवेशकों के लिये निःशुल्क भूमि**
  - निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिये 1 रुपये के नाममात्र शुल्क पर भूमि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत **100 करोड़ रुपये के निवेश और 1,000 नौकरियों के सृजन पर 10 एकड़** तक भूमि प्रदान की जाएगी।
  - 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को 25 एकड़ तक भूमि आवंटित की जाएगी।
  - **फॉर्च्यून 500** कंपनियों को 10 एकड़ भूमि दी जाएगी।
- **भूमि पर छूट**
  - उपर्युक्त योजनाओं का चयन न करने वाले निवेशकों को **BIADA (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण)** की भूमि दर से 50% छूट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- **फिनटेक सिटी विकास:**
  - मंत्रिमंडल ने पटना में फतुहा के समीप [फिनटेक सिटी परियोजना](#) हेतु 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिये 408.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
  - गुजरात की [गिफ्ट सिटी](#) **(गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)** की तर्ज पर निर्मित इस परियोजना से वित्तीय सेवाएँ बढ़ेंगी तथा पटना तक सीधे माल की आवाजाही संभव होगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण**
  - मंत्रिमंडल ने **पटना** और **गया** हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को बढ़ावा देने वाली एयरलाइनों के लिये [व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)](#) को भी मंज़ूरी दी है।
  - पटना-काठमांडू, गया-शारजाह, गया-बैंकॉक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन करने वाली एयरलाइनों को न्यूनतम 150 यात्रियों की क्षमता वाली **राउंड ट्रिप** के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:**
  - निवेशक तीन वित्तीय प्रोत्साहन मॉडलों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं:
    - 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान तथा 100% तक [SGST प्रतिपूर्ति](#)।
    - 14 वर्षों में अनुमोदित परियोजना लागत का 300% SGST प्रतिपूर्ति।
    - अनुमोदित परियोजना लागत के आधार पर 30% पूंजीगत सब्सिडी।
- **निर्यात प्रोत्साहन:**
  - निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ाकर **40 लाख रुपये प्रतिवर्ष** कर दिया गया है, जो पूर्व राशि से दोगुना है तथा लाभ **14 वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया है**।
- **रोज़गार सहायता:**
  - पात्र उद्योगों को प्रति श्रमिक 5,000 रुपये प्रतिमाह तथा 300% तक **ESI/EPF सहायता** दी जाएगी।
  - अन्य इकाइयों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के अतिरिक्त प्रति श्रमिक 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
  - प्रत्येक कर्मचारी के लिये 20,000 रुपये का [कौशल विकास अनुदान](#) भी सम्मिलित है।
- **हरित प्रोत्साहन:**
  - पर्यावरण संरक्षण हेतु 25% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर 6 लाख रुपये तक की सहायता

दी जाएगी।

नोट: एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने **कृषि सलाहकारों के मानदेय को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी है**, जिससे राज्य में किसान सलाहकारों को और अधिक सहयोग एवं प्रोत्साहन मिल सकेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-industrial-investment-promotion-package-2025